रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2620] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 8, 2015/अग्रहायण 17, 1937
No. 2620] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 8, 2015/AGRAHAYANA 17, 1937

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 दिसम्बर, 2015

का.आ. 3305(अ).— केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 6 और धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1.(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यावरण (संरक्षण) संशोधन नियम, 2015 है।

(2) ये उनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 की अनुसूची 1 में,—

(क) क्रम सं. 5 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

क्रम सं.	उद्योग	मापदंड	मानक
1	2	3	4
5क	**ताप विद्युत संयंत्र (जल उपभोग सीमा)**	**जल उपभोग**	I. एक बार शीतलन (ओटीसी) के माध्यम से सभी संयंत्र शीतलन टावरों (सीटी) को प्रतिष्ठापित करेंगे और अधिसूचना की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर अधिकतम 3.5m^3/MWh के विनिर्दिष्ट जल उपभोग को हासिल करेंगे।

			II. सभी विद्यमान सीटी-आधारित संयंत्र 3.5m^3/MWh इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष के भीतर अधिकतम 3.5m^3/MWh तक के विनिर्दिष्ट जल उपभोग को कम करेंगे। III. जनवरी, 2017 के पश्चात् प्रतिष्ठापित किए जाने वाले नए संयंत्र अधिकतम 2.5 m^3/MWh तक के विनिदिष्ट जल उपभोग को पूरा करेंगे और शून्य जल दुर्व्यय को हासिल करेंगे।

(ख) क्रम सं. 25 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

क्रम सं.	उद्योग	मापदंड	मानक
1	2	3	4
		विवक्त पदार्थ	100 mg/Nm^3
		सल्फर डायोक्साइड(SO_2)	600 mg/Nm^3 (500 मेगावाट से कम क्षमता की इकाईयों से लघु इकाईयां) 200 mg/Nm^3 (500 मेगावाट और उससे अधिक क्षमता की इकाईयां)
		नाइट्रोजन के आक्साइड (NOx)	300 mg/Nm^3
		पारा (Hg)	0.03 mg/Nm^3 (500 मेगावाट और उससे अधिक क्षमता की इकाईयां)
		1 जनवरी, 2003 के पश्चात् 31 दिसंबर, 2016* तक प्रतिष्ठापित टीपीपी (इकाईयां)	
		विवक्त पदार्थ	50 mg/Nm^3
		सल्फर डायोक्साइड (SO_2)	600 mg/Nm^3 (500 मेगावाट से कम क्षमता की इकाईयों से लघु इकाईयां) 200 mg/Nm^3 (500 मेगावाट और उससे अधिक क्षमता की इकाईयां)
		नाइट्रोजन के आक्साइड (NOx)	300 mg/Nm^3
		पारा (Hg)	0.03 mg/Nm^3
		1 जनवरी, 2017** से प्रतिष्ठापित टीपीपी (इकाईयां)	
		विवक्त पदार्थ	30 mg/Nm^3
		सल्फर डायोक्साइड (SO_2)	100 mg/Nm^3
		नाइट्रोजन के आक्साइड	100 mg/Nm^3

		(NOx)	
		पारा (Hg)	0.03 mg/Nm^3

* टीपीपी (इकाईयां) इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष के भीतर परिसीमाओं को पूरा करेंगी ।

** इसके अंतर्गत सभी टीपीपी (इकाईयां) हैं, जिन्हें पर्यावरणीय निकासी प्रदान की गई है और संनिर्माण के अधीन है ।

[फा. सं. क्यू-15017/40/2007-सीपीडब्ल्यू]

डा. राशिद हसन, सलाहकार

टिप्पण :- मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में सं. का.आ. 844(अ) 19 नवंबर, 1986 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनका पश्चातवर्ती का.आ. 433(अ) तारीख 18 अप्रैल, 1987 ; सा.का.नि 176(अ) तारीख 2 अप्रैल, 1996; सा.का.नि. 97 (अ), तारीख 18 फ़रवरी, 2009 ; सा.का.नि 149(अ) तारीख 4 मार्च, 2009 ; सा.का.नि. 543(अ) तारीख 22 जुलाई, 2009 ; सा.का.नि. 739(अ) तारीख 9 सितम्बर, 2010 ; सा.का.नि. 809(अ) तारीख 4 अक्टूबर, 2010, सा.का.नि. 215(अ) तारीख 15 मार्च, 2011 ; सा.का.नि. 221(अ) तारीख 18 मार्च, 2011 ; सा.का.नि. 354(अ) तारीख 2 मई, 2011 ; सा.का.नि. 424(अ) तारीख 1 जून, 2011 ; सा.का.नि. 446(अ) तारीख 13 जून, 2011 ; सा.का.नि. 152(अ) तारीख 16 मार्च, 2012 ; सा.का.नि. 266(अ) तारीख 30 मार्च, 2012 ; सा.का.नि. 277(अ) तारीख 31 मार्च, 2012; सा.का.नि. 820(अ) तारीख 9 नवम्बर, 2012 ; सा.का.नि. 176(अ) तारीख 18 मार्च, 2013 ; सा.का.नि. 535(अ) तारीख 7 अगस्त, 2013 ; सा.का.नि. 771(अ) तारीख 11 दिसम्बर, 2013 ; सा.का.नि. 2(अ) तारीख 2 जनवरी, 2014 ; सा.का.नि. 229(अ) तारीख 28 मार्च, 2014 ; सा.का.नि. 232(अ) तारीख 31 मार्च, 2014 ; सा.का.नि. 325(अ) तारीख 7 मई, 2014, सा.का.नि. 612(अ) तारीख 25 अगस्त, 2014 और अन्तिम संशोधन सा.का.नि. 789(अ) तारीख 11 नवम्बर, 2014 किया गया था ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th December, 2015

S.O. 3305(E).— In exercise of the powers conferred by sections 6 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Environment (Protection) Rules, 1986, namely:–

1. (1) These rules may be called the Environment (Protection) Amendment Rules, 2015.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Environment (Protection) Rules, 1986, in Schedule – I, -

(a) after serial number 5 and entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:–

Sr. No.	Industry	Parameter	Standards
1	2	3	4
"5A.	**Thermal Power Plant (Water consumption limit)**	**Water consumption**	I. All plants with Once Through Cooling (OTC) shall install Cooling Tower (CT) and achieve specific water consumption upto maximum of 3.5m^3/MWh within a period

			of two years from the date of publication of this notification. **II.** All existing CT-based plants reduce specific water consumption upto maximum of 3.5m^3/MWh within a period of two years from the date of publication of this notification. **III.** New plants to be installed after 1st January, 2017 shall have to meet specific water consumption upto maximum of 2.5 m^3/MWh and achieve zero waste water discharged";

(b) for serial number 25, and the entries related thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-

Sr. No.	Industry	Parameter	Standards
1	**2**	**3**	**4**
"25.	**Thermal Power Plant**	**TPPs (units) installed before 31st December, 2003***	
		Particulate Matter	100 mg/Nm^3
		Sulphur Dioxide (SO_2)	600 mg/Nm^3 (Units Smaller than 500MW capacity units) 200 mg/Nm^3 (for units having capacity of 500MW and above)
		Oxides of Nitrogen (NOx)	600 mg/Nm^3
		Mercury (Hg)	0.03 mg/Nm^3(for units having capacity of 500MW and above)
		TPPs (units) installed after 1st January,2003, upto 31st December, 2016*	
		Particulate Matter	50 mg/Nm^3
		Sulphur Dioxide (SO_2)	600 mg/Nm^3 (Units Smaller than 500MW capacity units) 200 mg/Nm^3 (for units having capacity of 500MW and above)
		Oxides of Nitrogen (NOx)	300 mg/Nm^3
		Mercury (Hg)	0.03 mg/Nm^3
		TPPs (units) to be installed from 1st January, 2017**	
		Particulate Matter	30 mg/Nm^3
		Sulphur Dioxide (SO_2)	100 mg/Nm^3
		Oxides of Nitrogen (NOx)	100 mg/Nm^3
		Mercury (Hg)	0.03 mg/Nm^3

*TPPs (units) shall meet the limits within two years from date of publication of this notification.

**Includes all the TPPs (units) which have been accorded environmental clearance and are under construction".

[F. No. Q-15017/40/2007-CPW]

Dr. RASHID HASAN, Advisor

Note: - The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number S.O. 844(E), dated the 19th November, 1986 and subsequently amended *vide* the following notifications:—

S.O. 433(E), dated 18th April 1987; G.S.R. 176(E) dated 2nd April, 1996; G.S.R. 97(E), dated the 18th February, 2009; G.S.R. 149(E), dated the 4th March , 2009; G.S.R. 543(E), dated 22nd July, 2009; G.S.R. 739(E), dated the 9th September, 2010; G.S.R. 809(E), dated, the 4th October, 2010, G.S.R. 215(E), dated the 15th March, 2011; G.S.R. 221(E), dated the 18th March, 2011; G.S.R. 354(E), dated the 2nd May, 2011; G.S.R. 424(E), dated the 1st June, 2011; G.S.R. 446(E), dated the 13th June, 2011; G.S.R. 152(E), dated the 16th March, 2012; G.S.R. 266(E), dated the 30th March, 2012; and G.S.R. 277(E), dated the 31st March, 2012; and G.S.R. 820(E), dated the 9th November, 2012; G.S.R. 176(E), dated the 18th March, 2013; G.S.R. 535(E), dated the 7th August, 2013; G.S.R. 771(E), dated the 11th December, 2013; G.S.R. 2(E), dated the 2nd January, 2014; G.S.R. 229(E), dated the 28th March, 2014; G.S.R. 232(E), dated the 31st March, 2014; G.S.R. 325(E), dated the 07th May, 2014, G.S.R. 612,(E), dated the 25th August, 2014 and lastly amended vide notification G.S.R. 789(E), dated 11th November, 2014.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 590] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 7, 2016/फाल्गुन 17, 1937
No. 590] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 7, 2016/ PHALGUNA 17 , 1937

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 7 मार्च, 2016

का.आ. 682(अ).—भारत के राजपत्र में प्रकाशित पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सा.का.नि. 3305(अ) तारीख 7 दिसंबर, 2015 द्वारा अधिसूचित पर्यावरण (संरक्षण) संशोधन नियम, 2015 के अंतर्गत आने वाली नीचे उल्लिखित प्रविष्टियों को निम्न पढ़ें:

1. पृष्ठ सं. 2, क्रम सं. 25, पंक्ति सं. 2 के नीचे सारणी में स्तम्भ 3 और 4 में "31 **दिसंबर**, 2003 **से पहले संस्थापित टीपीपी (इकाईयां)**"

2. पृष्ठ सं. 2, क्रम सं. 25, पंक्ति सं. 6 की सारणी के स्तम्भ 4 में "300 mg/Nm^3" के स्थान पर "600 mg/Nm^3" पढ़ें

3. पृष्ठ सं. 2, क्रम सं. 25, पंक्ति सं. 8 की सारणी के स्तम्भ 3 और 4 में "1 जनवरी, 2003" के स्थान पर "1 **जनवरी**, 2004" पढ़ें

[फा.सं. क्यू.15017/40/2007-सीपीडब्ल्यू]

डा. राशिद हसन, सलाहकार

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

CORRIGENDUM

New Delhi, the 7th March, 2016

S.O. 682(E).—In the notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide number S.O. 3305(E), dated the 7th December, 2015, published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii), in page 4, in the Table, against serial number 25, for "1st January, 2003" substitute "1st January, 2004".

[F.No. Q-15017/40/2007-CPW]

Dr. RASHID HASAN, Advisor

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 435] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 29, 2018/आषाढ़ 8, 1940
No. 435] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 29, 2018/ASHADHA 8, 1940

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जून, 2018

सा.का.नि. 593 (अ).— भारत के राजपत्र, असाधारण में भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की दिनांक 16 अक्तूबर, 2017 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 3337 (अ) के द्वारा एक प्रारूप अधिसूचना प्रकाशित की गई थी जिसमें उन सभी व्यक्तियों, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, से उस तारीख से जिसकी उक्त अधिसूचना की राजपत्र की प्रतियां जन-साधारण को उपलब्ध कराई गई थीं, साठ दिन की अवधि के भीतर आपत्तियां और सुझाव मांगे गए थे।

और, राजपत्र की प्रतियां दिनांक 16 अक्तूबर, 2017 को जन-साधारण को उपलब्ध कराई गई थीं।

और, केंद्र सरकार द्वारा इस प्रारूप अधिसूचना के प्रत्युत्तर में सभी व्यक्तियों और पक्षों से प्राप्त सभी आपत्तियों और सुझावों पर विधिवत् रूप से विचार किया गया है।

अत: अब, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम (5) के उप नियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 6 और 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, एतद्द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यावरण (संरक्षण) संशोधन नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 की अनुसूची 1 में,-

(क) स्तंभ 4 में क्रम संख्या 5क के सामने, मद 3 के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात:—

"III. विनिर्दिष्ट जल उपभोग, तारीख 1 जनवरी, 2017 के पश्चात् संस्थापित किए गए नए संयंत्र के लिए 3.0 मी^{3}/एमडब्ल्यूएच से अधिकतम नहीं होगा और ये संयंत्र शून्य अपशिष्ट जल बहाव को हासिल करेंगे।"

(ख) क्रम संख्या 5 क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

क्रम सं	उद्योग	पैरामीटर	मानक
1	2	3	4
"5ख	तापीय विद्युत संयंत्र (जल उपभोग सीमा समुद्री जल का प्रयोग)	जल उपभोग	उपरोक्त क्रम सं 5क में स्तंभ 4 में मद I से III समुद्री जल का प्रयोग करने वाले तापीय विद्युत संयंत्र पर लागू नहीं होगा";

(ग) क्रम सं 25 में, निम्नलिखित टिप्पण अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात:—

"टिप्पण : सल्फर डाइआक्साइड, नाइट्रोजन और धूल-कण के लिए सभी मानीटर किए गए मान को शुष्क आधार पर 6% आक्सीजन के लिए संशोधित किया जाएगा।";

(घ) क्रम सं 33 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्निलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंत:स्थापित किया जाएगा:-

क्रम सं	उद्योग	पैरामीटर	मानक
1	2	3	4
"33क	आर्द्र-फ्लू गैस डीसल्फयुराईजेशन (एफजीडी) के साथ तापीय विद्युत संयंत्र	चिमनी की ऊंचाई/मीटर में सीमा	विद्युत उत्पादन क्षमता: 100 मेगावाट और अधिक एच= 6.902 (क्यू x 0.277)$^{0.555}$ अथवा 100 मीटर न्यूनतम 100 मेगावाट से कम एच= 6.902 (क्यू x 0.277)$^{0.555}$ अथवा 30 मीटर जो भी अधिक हो"; क्यू=सल्फर डाइआक्साइड की कि.ग्रा./उत्सर्जन दर* एच= मीटर में भैतिक स्टाक ऊंचाई।" *चिमनी से जुड़ी सभी यूनिटों का योग **टिप्पणी :** ये मानक कोयला/लिग्नाइट आधारित तापीय विद्युत संयंत्रों पर लागू होंगे।

[फा. सं. क्यू-15017/40/2007-सीपीडब्ल्यू)]

डॉ. ए. सेंथिल वेल, वैज्ञानिक 'जी'

टिप्पण : मूल नियम के राजपत्र असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) का.आ. 844 (अ) तारीख 19 नवम्बर, 1986 द्वारा प्रकाशित किया गया था और पिछली बार अधिसूचना सा.का.नि. 568 (अ) दिनांक 18 जून, 2018 के द्वारा संशोधित किया गया।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th June, 2018

G.S.R. 593 (E).—Whereas, a draft notification, for Thermal Power Plants was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment, Forest and Climate Change number G.S.R. 3337(E), dated the 16th October, 2017, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within a period of sixty days from the dated on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

And Whereas, copies of the Gazette were made available to the public on the 16th October, 2017;

And Whereas, all objections and suggestions received from all persons and stakeholders in response to the draft notification have been duly considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sections 6 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Environment (Protection) Rules, 1986, namely:-

1. (1) These rules may be called the Environment (Protection) Amendment Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Environment (Protection) Rules, 1986, in Schedule-I,-

(a) against serial number 5A, in column 4, for item III, the following item shall be substituted, namely:-
"III. Specific water consumption shall not exceed maximum of 3.0 m^3/MWh for new plants installed after the 1st January, 2017 and these plants shall also achieve zero waste water discharge.";

(b) after serial number 5A and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:-

Sl. No.	Industry	Parameter	Standards
1	2	3	4
"5B.	Thermal Power Plant (water consumption limit) using sea water	Water consumption	Items I to III in column 4 in serial number 5A above shall not be applicable to the Thermal Power Plants using sea water";

(c) in serial number 25, the following Note shall be inserted, namely:—

"**Note:** All monitored values for SO_2, NOx and Particulate Matter shall be corrected to 6% Oxygen, on dry basis";

(d) after serial number 33 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:—

Sl. No.	Industry	Parameter	Standards
1	2	3	4

"33A.	Thermal Power Plants with wet Flue Gas Desulphurization (FGD)	Stack Height/Limit in Meters	Power generation capacity: - 100 MW and above $H=6.902(QX0.277)^{0.555}$ or 100 m minimum - Less than 100 MW $H=6.902(QX0.277)^{0.555}$ or 30 m whichever is more"; Q = Emission rate of SO_2 in kg/hr* H = Physical stack height in meter *total of the all Unit's connected to stack **Note:** These standards shall apply to coal / lignite based Thermal Power Plants.".

[F. No. Q-15017/40/2007-CPW]
DR. A. SENTHIL VEL, Scientist 'G'

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number S.O. 844 (E), dated the 19th November, 1986 and last amended *vide* notification number G.S.R. 263(E), dated the 22nd March, 2018.

RAKESH SUKUL
Digitally signed by RAKESH SUKUL
Date: 2018.07.03 20:39:18 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22102020-222659
CG-DL-E-22102020-222659

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 540] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 22, 2020/आश्विन 30, 1942
No. 540] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 22, 2020/ASVINA 30, 1942

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अक्तूबर, 2020

सा.का.नि. 662(अ).—केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 6 और धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

1.(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यावरण (संरक्षण) संशोधन नियम, 2020 है ।

(2) ये उनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 की अनुसूची 1 में,--

क्र. सं. 25 के सामने, "जनवरी, 2003 के पश्चात् 31 दिसंबर, 2016 तक प्रतिष्ठापित टीपीपी (इकाईयां)", शीर्ष के अधीन, नाइट्रोजन के आक्साइड (NOx) के संबंध में, " 300 mg/Nm^3", अंकों और अक्षरों के स्थान पर, स्तंभ 4 में, "450 mg/Nm^3", अंक और अक्षर रखे जाएंगे ।

[फा.सं. क्यू-15017/40/2007-सीपीडब्ल्यू]

जिगमेत टक्पा, संयुक्त सचिव

टिप्पण : —मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में सं. का.आ. 844(अ) 19 नवंबर, 1986 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनका अंतिम संशोधन अधिसूचना सा.का.नि. 48 (अ), तारीख 24 जनवरी, 2020 द्वारा किया गया ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th October, 2020

G.S.R. 662(E).—In exercise of the powers conferred by sections 6 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Environment (Protection) Rules, 1986, namely:—

1. (1) These rules may be called the Environment (Protection) Amendment Rules, 2020.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Environment (Protection) Rules, 1986, in Schedule – I, -

against S. No. 25, under the heading "TPPs (units) installed after 1st January, 2003, upto 31st December, 2016", in respect of Oxides of Nitrogen (NOx), for figure and letters "300 mg/Nm^3" in column 4, the figure and letters "450 mg/Nm^3" shall be substituted.

[F. No. Q-15017/40/2007-CPW]

JIGMET TAKPA, Joint Secretary

Note : The principle rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number S.O. 844(E), dated the 19th November, 1986 and lastly amended *vide* notification G.S.R. 48(E), dated the 24th January, 2020.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SURENDER MAHADASAM Digitally signed by SURENDER MAHADASAM Date: 2020.10.22 21:50:05 +05'30'

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01042021-226335
CG-DL-E-01042021-226335

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 192] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 1, 2021/चैत्र 11, 1943
No. 192] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 1, 2021/CHAITRA 11, 1943

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2021

सा.का.नि. 243(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3, धारा 6 और धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यावरण (संरक्षण) संशोधन नियम, 2021 है ।

(2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 की अनुसूची-1, के क्रम संख्यांक 25 में, "*टीपीपी (इकाईयां) इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष के भीतर सीमाओं को पूरा करेंगी", अक्षरों, कोष्ठकों और शब्दों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

"*(i) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) और केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधियों से मिलकर बने कार्य बल का गठन केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा सारणी-1 में यथाविनिर्दिष्ट तीन प्रवर्गों में सारणी-1 के स्तंभ (4) में यथाविनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर उत्सर्जन मानदंडों के अनुरुप होने के लिए उनकी अवस्थिति के आधार पर तापीय विद्युत संयत्रों के प्रवर्गीकरण हेतु किया जाएगा, अर्थात् :-

सारणी-1

क्र.सं.	प्रवर्ग	अवस्थिति/स्थान	अनुपालन के लिए समय सीमाएं	
			निवृत्त नहीं होने वाली इकाईयां	निवृत्त होने वाली इकाईयां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	प्रवर्ग क	10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र या शहरों की 10 किलोमीटर की परिधि के भीतर 1	31 दिसम्बर, 2022 तक	31 दिसम्बर, 2022 तक
2	प्रवर्ग ख	गंभीर रूप से प्रदूषित क्षेत्रों या गैर प्राप्ति शहरों की 10 किलोमीटर की परिधि के भीतर 2	31 दिसम्बर, 2023 तक	31 दिसम्बर, 2025 तक
3	प्रवर्ग ग	प्रवर्ग क और ख में सम्मिलित से भिन्न	31 दिसम्बर, 2024 तक	31 दिसम्बर, 2025 तक

[1] भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार ।

[2] सीपीसीबी द्वारा यथापरिभाषित ।

(ii) सारणी-1 के स्तंभ (5) में यथाविनिर्दिष्ट तारीख के पूर्व निवृत्त होने के लिए घोषित तापीय विद्युत संयत्र से, उस स्थिति में जहां ऐसे संयंत्र उनके निवृत्त होने के आधार पर छूट के लिए सीपीसीबी और सीईए को एक प्रतिज्ञान प्रस्तुत करते हैं, विनिर्दिष्ट मानदंडों को पूर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी:

परन्तु ऐसे संयत्रों से, उस स्थिति में जहां उनका प्रचालन प्रतिज्ञान में यथाविनिर्दिष्ट तारीख से आगे जारी रहता है, जनित विद्युत के प्रति यूनिट पर 0.20 रुपए की दर से पर्यावरण प्रतिकर उद्ग्रहीत किया जाएगा;

(iii) निवृत्त नहीं होने वाले तापीय विद्युत संयंत्र से, सारणी-1 के स्तंभ (4) में यथाविनिर्दिष्ट तारीख के पश्चात्, सारणी-2 में विनिर्दिष्ट दरों के अनुसार पर्यावरण प्रतिकर उद्ग्रहीत किया जाएगा, अर्थात् :-

सारणी-2

समय-सीमा से आगे गैर अनुपालन प्रचालन	पर्यावरणीय प्रतिकर (रुपए प्रति यूनिट जनित विद्युत)		
	प्रवर्ग क	प्रवर्ग ख	प्रवर्ग ग
0-180 दिवस	0.10	0.07	0.05
181-365 दिवस	0.15	0.10	0.075
366 दिवस और अधिक	0.20	0.15	0.10”

[फा.सं. क्यू-15017/40/2007-सीपीडब्ल्यू]

नरेश पाल गंगवार, संयुक्त सचिव

टिप्पणः मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना संख्या का.आ. 844(अ), तारीख 19 नवम्बर, 1986 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनका अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 662(अ), तारीख 19 अक्तूबर, 2020 द्वारा किया गया ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 2021

G.S.R. 243(E).—In exercise of the powers conferred by sections 3, 6 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Environment (Protection) Rules, 1986, namely:—

1. (1) These rules may be called the Environment (Protection) Amendment Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Environment (Protection) Rules, 1986, in Schedule – I, in serial number 25 for letters, brackets and words "*TPPs (units) shall meet the limits within two years from date of publication of this notification", the following shall be substituted, namely: -

"* (i) A task force shall be constituted by Central Pollution Control Board (CPCB) comprising of representative from Ministry of Environment and Forest and Climate Change, Ministry of Power, Central Electricity Authority (CEA) and CPCB to categorise thermal power plants in three categories as specified in the Table-I on the basis of their location to comply with the emission norms within the time limit as specified in column (4) of the Table-I, namely: -

Table-I

Sl. No.	**Category**	**Location/area**	**Timelines for compliance**	
			Non retiring units	**Retiring units**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Category A	Within 10 km radius of National Capital Region or cities having million plus population[1].	Upto 31st December 2022	Upto 31st December 2022
2	Category B	Within 10 km radius of Critically Polluted Areas[2] or Non-attainment cities[2]	Upto 31st December 2023	Upto 31st December 2025
3	Category C	Other than those included in category A and B	Upto 31st December 2024	Upto 31st December 2025

[1] As per **2011** census of India.

[2] As defined by CPCB.

(ii) the thermal power plant declared to retire before the date as specified in column (**5)** of Table-I shall not be required to meet the specified norms in case such plants submit an undertaking to CPCB and CEA for exemption on ground of retirement of such plant:

Provided that such plants shall be levied environment compensation at the rate of rupees **0.20** per unit electricity generated in case their operation is continued beyond the date as specified in the Undertaking;

(iii) there shall be levied environment compensation on the non-retiring thermal power plant, after the date as specified in column (**4)** of Table-I, as per the rates specified in the Table-II, namely:-

Table-II

Non-Compliant operation beyond the Timeline	Environmental Compensation (Rs. per unit electricity generated)		
	Category A	**Category B**	**Category C**
0-180 days	0.10	0.07	0.05
181-365 days	0.15	0.10	0.075
366 days and beyond	0.20	0.15	0.10. "

[F. No. Q-15017/40/2007-CPW]

NARESH PAL GANGAWAR, Jt. Secy**.**

Note: The principle rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number S.O. 844(E), dated the 19th November, 1986 and lastly amended vide notification G.S.R. 662(E), dated the 19th October, 2020.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2021.04.01 21:18:32 +05'30'

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05092022-238614
CG-DL-E-05092022-238614

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 603] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 5, 2022/भाद्र 14, 1944
No. 603] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 5, 2022/BHADRA 14, 1944

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 सितम्बर, 2022

सा.का.नि. 682(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3, धारा 6 और धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यावरण (संरक्षण) दूसरा संशोधन नियम, 2022 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 की अनुसूची 1 के क्रम सं. 25 में, "*(i) सारणी 1" के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

सारणी-1

क्रम सं.	प्रवर्ग	अवस्थान/क्षेत्र	अनुपालन के लिए समय-सीमा (निवृत्त न होने वाली इकाईयां)		अनुपालन से छूट के लिए इकाईयों को निवृत्त करने की अंतिम तारीख	
			SO_2 उत्सर्जन से भिन्न पैरामीटर	SO_2 उत्सर्जन	SO_2 उत्सर्जन से भिन्न पैरामीटर	SO_2 उत्सर्जन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	प्रवर्ग क	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र या 10 लाख से	31 दिसंबर,	31 दिसंबर,	31 दिसंबर,	

		अधिक जनसंख्या वाले शहरों[1] की दस किलोमीटर की परिधि के भीतर।	2022 तक	2024 तक	2022 तक	31 दिसंबर, 2027 तक
2.	प्रवर्ग ख	गंभीर रूप से प्रदूषित क्षेत्रों[1] की या गैर-प्राप्ति शहरों[2] की दस किलोमीटर के अर्धव्यास के भीतर	31 दिसंबर, 2023 तक	31 दिसंबर, 2025 तक	31 दिसंबर, 2025 तक	
3.	प्रवर्ग ग	प्रवर्ग क और ख में सम्मिलित से भिन्न	31 दिसंबर, 2024 तक	31 दिसंबर, 2026 तक	31 दिसंबर, 2025 तक	

1 भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार

2 केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा यथा-परिभाषित।

3. "*(ii)" के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

'(ii)(क) सारणी 1 के स्तंभ (6) में यथा-विनिर्दिष्ट तारीख से पूर्व निवृत्त होने के लिए घोषित तापीय विद्युत संयंत्र से, ऐसे संयंत्रों द्वारा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण को ऐसे संयंत्र द्वारा निवृत्त होने के आधार पर छूट के लिए वचनबंध प्रस्तुत करने की दशा में SO_2 उत्सर्जन से भिन्न पैरामीटर के लिए विनिर्दिष्ट मानकों को पूरा करने की अपेक्षा नहीं होगी:

परंतु ऐसे संयंत्रों पर सारणी 1 के स्तंभ (4) में यथा-विनिर्दिष्ट तारीख से उनके द्वारा वचनबंध में यथा-विनिर्दिष्ट तारीख से आगे जारी रहता है, उनके प्रचालन की दशा में जनित विद्युत की प्रति इकाई पर 0.40 रुपए की दर से पर्यावरण प्रतिकर उदग्रहित किया जाएगा;

(ii)(ख) सारणी 1 के स्तंभ (7) में यथा-विनिर्दिष्ट तारीख से पूर्व निवृत्त् होने के लिए घोषित तापीय विद्युत संयंत्र से, ऐसे संयंत्रों द्वारा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण को ऐसे संयंत्र द्वारा निवृत्त होने के आधार पर छूट के लिए वचनबंध प्रस्तुत करने की दशा में SO_2 उत्सर्जनों से भिन्न विनिर्दिष्ट मानकों को पूरा करने की अपेक्षा नहीं होगी:

परंतु ऐसे संयंत्रों पर सारणी 1 के स्तंभ (5) में यथा-विनिर्दिष्ट तारीख से उनके द्वारा वचनबंध में यथा विनिर्दिष्ट तारीख से आगे जारी रहता है, उनके प्रचालन की दशा में जनित विद्युत की प्रति इकाई पर 0.40 रुपए की दर से पर्यावरण प्रतिकर उदग्रहित किया जाएगा;'

4. "*(iii)" के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:--

"(iii) सारणी 1 के स्तंभ (4) और स्तंभ (5) में यथा-विनिर्दिष्ट तारीख के पश्चात् निवृत्त न होने वाले तापीय विद्युत संयंत्रों पर सारणी-2 में विनिर्दिष्ट दरों के अनुसार, पर्यावरण प्रतिकर उदग्रहित किया जाएगा, अर्थात्:--

सारणी-2

समय-सीमा से आगे अननुपालन प्रचालन	पर्यावरण प्रतिकर (प्रति इकाई जनित विद्युत)
0-180 दिन	0.20
181-365 दिन	0.30
366 दिन और उससे आगे	0.40"

[फा. सं. क्यू-15017/40/2007-सीपीडब्ल्यू]

नरेश पाल गंगवार, अपर सचिव

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में संख्यांक का.आ. 844(अ), तारीख 19 नवंबर, 1986 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनका अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 143(अ), तारीख 22 फरवरी, 2022 द्वारा किया गया ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th September, 2022

G.S.R. 682(E).—In exercise of the powers conferred by sections 3, 6 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Environment (Protection) Rules, 1986, namely:—

1. (1) These rules may be called the Environment (Protection) Second Amendment Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Environment (Protection) Rules, 1986, in Schedule – I, in serial number 25 for "* (i) Table 1" the following shall be substituted, namely: -

Table-I

Sl. No.	**Category**	**Location/area**	**Timelines for compliance (Non-retiring units)**		**Last date for retirement of units for exemption from compliance**	
			parameters other than SO_2 emissions	**SO_2 emissions**	**parameters other than SO_2 emissions**	**SO_2 emissions**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Category A	With 10 km radius of National Capital Region or cities having million plus population[1].	Up to 31st December 2022	Up to 31st December 2024	Up to 31st December 2022	Up to 31st December 2027
2	Category B	With 10 km radius of Critically Polluted Areas[2] or Non-attainment cities[2]	Up to 31st December 2023	Up to 31st December 2025	Up to 31st December 2025	
3	Category C	Other than those included in category A and B	Up to 31st December 2024	Up to 31st December 2026	Up to 31st December 2025	

[1] As per 2011 census of India.

[2] as defined by CPCB.

3. For "* (ii)" the following shall be substituted, namely: -

'(ii) (a) The thermal power plant declared to retire before the date as specified in column (6) of Table-I shall not be required to meet the specified norms for parameters other than SO_2 emissions in case such plants submit an undertaking to CPCB and CEA for exemption on ground of retirement of such plant:

Provided that such plants shall be levied environment compensation from the dates as specified in column (4) of table –I, at the rate of rupees 0.40 per unit electricity generated in case their operation is continued beyond the date as specified in the undertaking;

(ii) (b) The thermal power plant declared to retire before the date as specified in column (7) of Table-I shall not be required to meet the specified norms for SO_2 emissions in case such plants submit an undertaking to CPCB and CEA for exemption on ground of retirement of such plant:

Provided that such plants shall be levied environment compensation from the dates as specified in column (5) of table –I, at the rate of rupees 0.40 per unit electricity generated in case their operation is continued beyond the date as specified in the undertaking;'

4. For "* (iii)" the following shall be substituted, namely: -

"(iii) there shall be levied environment compensation on the non-retiring thermal power plants, after the date as specified in column (4) and (5) of Table-I, as per the rates specified in the Table-II, namely: -

Table-II

Non-Compliant operation beyond the Timeline	Environmental Compensation (Rs. per unit electricity generated)
0-180 days	0.20
181-365 days	0.30
366 days and beyond	0.40"

[F. No. Q-15017/40/2007-CPW]

NARESH PAL GANGWAR, Addl. Secy.

Note : The principle rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number S.O. 844(E), dated the 19th November, 1986 and lastly amended vide notification G.S.R. 143(E), dated the 22nd February, 2022.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31122024-259752
CG-DL-E-31122024-259752

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 725] नई दिल्ली, सोमवार , दिसम्बर 30, 2024/ पौष 9, 1946
No. 725] NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 30, 2024/PAUSHA 9, 1946

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर, 2024

सा.का.नि. 787(अ). ---- पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3, 6 और 25 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार एतद्वारा पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 में आगे और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों को पर्यावरण (संरक्षण) तीसरा संशोधन नियम, 2024 कहा जाएगा।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 में, अनुसूची-I में क्रम संख्या 25 में " तालिका 1 " में, -

(i) क्रम संख्या 1 के सामने, कॉलम (5) की प्रविष्टियों में, ''31 दिसंबर, 2024 तक'' शब्दों और आंकड़ों के स्थान पर ''31 दिसंबर, 2027 तक'' शब्द और आंकड़े प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ii) क्रम संख्या 2 के सामने, कॉलम (5) की प्रविष्टियों में, ''31 दिसंबर, 2025 तक'' शब्दों और आंकड़ों के स्थान पर ''31 दिसंबर, 2028 तक'' शब्द और आंकड़े प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(iii) क्रम संख्या 3 के सामने, कॉलम (5) की प्रविष्टियों में, ''31 दिसंबर, 2026 तक'' शब्दों और आंकड़ों के स्थान पर ''31 दिसंबर, 2029 तक'' शब्द और आंकड़े प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(iv) कॉलम (7) की प्रविष्टियों में, ''31 दिसंबर, 2027 तक'' शब्दों और आंकड़ों के स्थान पर ''31 दिसंबर, 2030 तक'' शब्द और आंकड़े प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

[फा सं. क्यू-15017/40/2007-सीपीडब्ल्यू]
वेद प्रकाश मिश्रा, संयुक्त सचिव

टिप्पणी : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में का.आ. संख्या 844(अ), तारीख 19 नवंबर, 1986 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और इन्हें अंतिम बार अधिसूचना सं. का.आ. 3864(अ), तारीख 09 सितंबर, 2024 द्वारा संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE
NOTIFICATION
New Delhi, the 30th December, 2024

G.S.R. 787(E).— In exercise of the powers conferred by sections 3, 6 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Environment (Protection) Rules, 1986, namely:—

1. (1) These rules may be called the Environment (Protection) Third Amendment Rules, 2024.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Environment (Protection) Rules, 1986, in Schedule – I, in serial number 25, in Table 1",–

(i) against serial number 1, in the entries under column (5), for the words and figures "Up to 31st December, 2024" the words and figures "Up to 31st December, 2027.", shall be substituted;

(ii) against serial number 2, in the entries under column (5), for the words and figures "Up to 31st December, 2025" the words and figures "Up to 31st December, 2028.", shall be substituted;

(iii) against serial number 3, in the entries under column (5), for the words and figures "Up to 31st December, 2026" the words and figures "Up to 31st December, 2029.", shall be substituted;

(iv) in the entries under column (7), for the words and figures "Up to 31st December, 2027" the words and figures "Up to 31st December, 2030.", shall be substituted.

[F. No. Q-15017/40/2007-CPW]
VED PRAKASH MISHRA, Jt. Secy.

Note.— The principle rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i),*vide* number S.O. 844(E), dated the 19th November, 1986 and last amended vide notification S.O. 3864(E), dated the 9th September, 2024.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11072025-264545
CG-DL-E-11072025-264545

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 422] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 11, 2025/आषाढ़ 20, 1947
No. 422] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 11, 2025/ASHADHA 20, 1947

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 जुलाई, 2025

सा.का.नि. 465(अ).— जबकि देश में कोयला और लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत संयंत्रों के लिए सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जन मानक केन्द्र सरकार अधिसूचना सं. का.आ. 3305(अ) दिनांक 7 दिसंबर 2015 के तहत प्रकाशित किए गए थे, जिनमें कुछ समय-सीमाएं भी निर्धारित की गई थीं, जिन्हें बाद में समय-समय पर संशोधित किया गया था;

और जबकि प्रौद्योगिकी प्रदाताओं की सीमित उपलब्धता, इसकी तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता, आपूर्ति श्रृंखला पर कोविड-19 महामारी के नकारात्मक प्रभाव, अधिक मांग और कम आपूर्ति के कारण मूल्य वृद्धि, परिवेशी वायु में सल्फर डाइऑक्साइड की कम सांद्रता और बिजली की कीमतों में वृद्धि के कारण उपभोक्ता पर भारी बोझ आदि के कारण इन उत्सर्जन मानकों की समय-सीमा में छूट या ढील के संबंध में कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे और इस संबंध में विद्युत मंत्रालय की स्पष्ट सिफारिश प्राप्त हुई थी;

और जबकि अनुसंधान संस्थानों द्वारा इन मानकों के पीछे की प्रभावशीलता और औचित्य तथा क्षेत्र के समग्र परिवेशी वायु प्रदूषण में इसकी भूमिका के संबंध में कई अध्ययन किए गए थे;

और इन उत्सर्जन मानकों और इसकी समय-सीमा के संबंध में उद्योग, विद्युत मंत्रालय, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वैज्ञानिक संस्थानों और अन्य हितधारकों के साथ कई हितधारक परामर्श किए गए थे;

और जबकि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में इस मुद्दे की समग्र जांच करने, उपलब्ध अध्ययन रिपोर्टों, अन्य प्रासंगिक सामग्रियों और अन्य संबंधित कारकों का आकलन करने और इन मानकों और इसकी समय-सीमा की प्रयोज्यता पर सिफारिश करने के लिए एक समिति का गठन किया गया था और जबकि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने विस्तृत विश्लेषण के बाद, देश के अधिकांश क्षेत्रों में सल्फर डाइऑक्साइड के राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों; जल, सहायक बिजली और चूना पत्थर की अतिरिक्त खपत से बचने के लिए संसाधन संरक्षण; नियोजित किए जाने वाले नियंत्रण उपायों के लागू होने के कारण वातावरण में कार्बन फुटप्रिंट या कार्बन डाइआक्साइड उत्सर्जन में वृद्धि, और इन नियंत्रण उपायों के लिए अपेक्षित चूना पत्थर का खनन और परिवहन; सभी कोयला या लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत संयंत्र में ऐसे नियंत्रण उपायों के कार्यान्वयन की तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता; और घनी आबादी वाले क्षेत्रों और अन्य वायु प्रदूषण संवेदनशील क्षेत्रों में वायु प्रदूषण के नियंत्रण और उन्मूलन के लिए एहतियाती सिद्धांत को लागू करने के संबंध में अपने अध्ययन के आधार अपनी सिफारिश प्रस्तुत की है;

अब, इसलिए पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 6 और 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 को और संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, नामत: -

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यावरण (संरक्षण) चतुर्थ संशोधन नियम, 2025 है।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के अनुसूची-I में क्रम संख्या 25 में, "* (i) से शुरू होने वाली प्रविष्टियों के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा एक टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा" और "** से समाप्त होने वाली सभी टीपीपी (इकाइयां) शामिल हैं जिन्हें पर्यावरणीय मंजूरी दी गई है और निर्माणाधीन हैं" के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

"(क) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा एक टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा जिसमें पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि शामिल होंगे, जो उत्सर्जन मानकों के अनुपालन के लिए उक्त तालिका के कॉलम (3) में निर्दिष्ट उनकी अवस्थिति के आधार पर नीचे दी गई तालिका-I के कॉलम (2) में निर्दिष्ट तीन ताप विद्युत संयंत्रों की श्रेणी में वर्गीकृत करेगा : -

तालिका I

क्र.सं.	**वर्ग**	**अवस्थिति/क्षेत्र**
(1)	(2)	(3)
1	श्रेणी क	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के 10 किलोमीटर के दायरे में या मिलियन से अधिक आबादी वाले शहरों में[1] ।
2	श्रेणी ख	गंभीर रूप से प्रदूषित क्षेत्रों [2] अथवा अनुपालन न करने वाले क्षेत्र[2] के 10 किमी के दायरे के भीतर
3	श्रेणी ग	श्रेणी क और ख में शामिल संयंत्रों के अलावा

[1]भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार।

[2]जैसा कि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा परिभाषित किया गया है।

(ख) (i) सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जन के अलावा अन्य मापदंडों के लिए उत्सर्जन मानकों की प्रयोज्यता समय-सीमा निम्नानुसार होगी:

तालिका-II

क्र.सं.	वर्ग	अनुपालन के लिए समयसीमा (बंद न की जाने वाली इकाइयाँ)	अनुपालन से छूट के लिए इकाइयों को बंद करने की अंतिम तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्रेणी क	31 दिसंबर 2022 तक	31 दिसंबर 2022 तक
2	श्रेणी ख	31 दिसंबर 2023 तक	31 दिसंबर 2025 तक
3	श्रेणी ग	31 दिसंबर 2024 तक	31 दिसंबर 2025 तक

(ii) तालिका-II के कालम (4) में निर्दिष्ट तिथि से पहले बंद घोषित किए गए ताप विद्युत संयंत्र को सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जन के अलावा अन्य मापदंडों के लिए निर्दिष्ट मानकों को पूरा करना अपेक्षित नहीं होगा, यदि ऐसे संयंत्र बंद होने के आधार पर छूट के लिए केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को एक वचनबद्धता प्रस्तुत करते हैं:

बशर्ते कि ऐसे संयंत्रों का संचालन वचनबद्धता में निर्दिष्ट तारीख से आगे जारी रहता है तथा यदि थर्मल पावर प्लांट/यूनिट निर्दिष्ट मानकों को पूरा नहीं करता है, तो उनसे तालिका-II के स्तंभ (4) में निर्दिष्ट तारीखों से पर्यावरण क्षतिपूर्ति वसूल की जाएगी;

(ग) ताप विद्युत संयंत्रों में सल्फर डाइऑक्साइड के लिए उत्सर्जन मानकों की प्रयोज्यता निम्नानुसार होगी:

(i) 31 दिसंबर 2030 से पहले बंद होने की घोषणा करने वाले ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जन के लिए निर्दिष्ट मानकों को पूरा करना अपेक्षित नहीं होगा, यदि ऐसे संयंत्र बंद होने के आधार पर छूट के लिए केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को वचनबद्धता प्रस्तुत करते हैं:

बशर्ते कि इन संयंत्रों पर 31 दिसंबर 2030 से उत्पादित विद्युत पर 0.40 रुपये प्रति यूनिट की दर से पर्यावरण क्षतिपूर्ति लगाई जाएगी, यदि उनका प्रचालन निर्दिष्ट मानकों को पूरा किए बिना उपक्रम में निर्दिष्ट तिथि के बाद भी जारी रहता है;

(ii) मौजूदा श्रेणी 'क' के ताप विद्युत संयंत्र 31 दिसम्बर, 2027 तक सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जन मानकों का अनुपालन करेंगे। चालू होने वाले श्रेणी 'क' ताप विद्युत संयंत्रों को भी 31 दिसम्बर, 2027 से पहले इन मानकों का अनुपालन करना होगा। और 31 दिसम्बर, 2027 के बाद चालू होने वाले श्रेणी 'क' के अन्य संयंत्र इन मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के बाद ही प्रचालन करेंगे;

(iii) वर्तमान अथवा शुरू किए जाने वाले श्रेणी 'ख' के सभी संयंत्रों/एककों के लिए सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जन मानकों की प्रयोज्यता, केंद्र सरकार द्वारा पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना 2006 के तहत गठित थर्मल पावर परियोजनाओं के प्रभारी विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की सिफारिशों के आधार पर निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार उपयुक्त वैज्ञानिक अध्ययनों के आधार पर मामले दर मामले के अनुसार तय की जाएगी:

(क) यदि पर्यावरणीय स्वीकृति पहले ही दी जा चुकी है, तो ऐसे संयंत्र या एककों सल्फर डाइऑक्साइड मानकों की प्रयोज्यता की समीक्षा का विकल्प चुन सकते हैं, बशर्ते कि संबंधित परियोजना प्रस्तावक इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से छह महीने के भीतर परिवेश पोर्टल पर इस समीक्षा के लिए आवेदन करें। यदि सल्फर डाइऑक्साइड मानकों को लागू माना जाता है, तो वे 31 दिसम्बर, 2028 से प्रभावी होंगे। अन्य सभी मामलों में, ताप विद्युत संयंत्र को अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 742 (अ) 30 अगस्त, 1990 द्वारा अधिसूचित स्टैक ऊँचाई मानदंडों का 31 दिसम्बर, 2028 तक अनुपालन करना होगा;

(ख) यदि शुरू किए जाने वाले संयंत्रों को पर्यावरण स्वीकृति नहीं दी गई है, तो सल्फर डाइऑक्साइड मानकों की प्रयोज्यता और उनके लागू होने की तिथि या अन्यथा, समय-समय पर संशोधित, जैसा कि पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना 2006 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, ऐसी प्रत्येक परियोजना को दी गई पर्यावरणीय मंज़ूरी में निर्दिष्ट अनुसार होगी और जिन मामलों में सल्फर डाइऑक्साइड मानक लागू नहीं किए गए हैं, वहाँ ताप विद्युत संयंत्रों को अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 742 (अ) 30 अगस्त, 1990 द्वारा अधिसूचित स्टैक ऊँचाई मानदंडों का पालन करना होगा;

(ग) सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जन के लिए ये मानक उन सभी संयंत्रों/इकाइयों के संबंध में 31 दिसम्बर, 2028 से लागू होंगे, जिन्होंने उपरोक्त पैरा (i) में निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर समीक्षा का विकल्प नहीं चुना है;

(iv) सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जन मानक श्रेणी ग के सभी ताप विद्युत संयंत्रों पर लागू नहीं होंगे, बशर्ते कि अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 742 (अ) 30 अगस्त, 1990 द्वारा अधिसूचित स्टैक ऊँचाई मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित किया गया हो। श्रेणी ग के मौजूद ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा स्टैक ऊँचाई मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित करने की समय-सीमा 31 दिसंबर, 2029 है;

(घ) केन्द्र सरकार केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) की सिफारिशों पर, आदेश द्वारा ताप विद्युत संयंत्रों को सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जन मानकों के अनुपालन से संबंधित समय-सीमा को बढ़ा दें।

(ङ) तालिका-II के कॉलम (4) में निर्दिष्ट तिथि और पैरा (ख), (ग) और (घ) में निर्दिष्ट तिथि के बाद, बंद होने वाले और अनुपालन न करने वाले ताप विद्युत संयंत्रों पर तालिका-III में निर्दिष्ट दरों के अनुसार पर्यावरण प्रतिपूर्ति लगाई जाएगी, अर्थात:-

तालिका-III

समय-सीमा के बाद अनुपालन न करने वाले संयंत्रों का संचालन	**पर्यावरण क्षतिपूर्ति (प्रति यूनिट उत्पादित बिजली के लिए रु.)**
0-180 दिन	0.20
181-365 दिन	0.30
366 दिन और उससे आगे	0.40”

[फा. सं. क्यू-15017/40/2007- सीपीडब्ल्यू]

नीलेश कुमार साह, संयुक्त सचिव

नोट: मुख्य नियमों को दिनांक 19 नवंबर, 1986 के आदेश संख्या 844(ई) के द्वारा भारत का राजपत्र, असाधारण के भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया और दिनांक 3 जुलाई, 2005 की अधिसूचना संख्या जीएसआर-446(ई) के माध्यम से संशोधित किया गया।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th July, 2025

G.S.R. 465(E).— Whereas Sulphur dioxide emission standards were published by the Central Government *vide* SO 3305(E) dated the 7th December, 2015 for coal and lignite based thermal power plants in the country, also prescribing certain timelines, which were amended subsequently from time to time;

And whereas many representations were received regarding exemption or relaxation in timelines of these emission standards due to limited availability of technology providers, its techno-economic feasibility, negative impact of COVID19 pandemic on supply chain, price escalation due to high demand and low supplies, low Sulphur dioxide concentration in ambient air and heavy burden on consumer due to increase in electricity prices etc., and explicit recommendation of the Ministry of Power was received in this regard;

And whereas several studies were conducted by research institutions regarding effectiveness and rationale behind these standards and its role in overall ambient air pollution of the region;

And whereas several stakeholder consultations were done with Industry, Ministry of Power, Central Pollution Control Board, scientific institutions and other stakeholders regarding these emission standards and its timeline.;

And whereas a committee in the Central Pollution Control Board was constituted to examine the issue in totality, assess the available study reports, other relevant materials and other related factors and make a recommendation on applicability of these standards and its timeline;

And whereas the Central Pollution Control Board, after detailed analysis, has submitted its recommendation based on its study on National Ambient Air Quality Standards of Sulphur dioxide across most of the regions of the country; resource conservation in terms of avoiding additional consumption of water, auxiliary power, and limestone; increase in carbon footprint or Carbon dioxide emission into the atmosphere due to operation of control measures being deployed, and mining and transportation of limestone required for these control measures; the techno-economic feasibility of implementation of such control measures in all coal or lignite based Thermal Power Plants; and also applying the precautionary principle for control and abatement of air pollution in densely populated areas and other air pollution sensitive areas.

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sections 6 and 25 of the Environment (Protection) Act,1986 (29 of 1986), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Environment (Protection) Rules, 1986, namely: -

1. (1) These rules may be called the Environment (Protection) Fourth Amendment Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Environment (Protection) Rules, 1986, in Schedule - I, in serial number 25, for the entries beginning with "* (i) A task force shall be constituted by Central Pollution Control Board (CPCB)" and ending with "**Includes all the TPPs (units) which have been accorded environmental clearance and are under construction" the following shall be substituted, namely:-

" (a) A task force shall be constituted by Central Pollution Control Board comprising of representative from the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Ministry of Power, Central Electricity Authority and the Central Pollution Control Board to categorise the thermal power plants in three categories as specified in column (2) of the Table-I below, on the basis of their location specified in column (3) of the said table, to comply with the emission standards:-

TABLE -I

Sl. No.	Category	Location/area
(1)	(2)	(3)
1	Category A	Within 10 km radius of National Capital Region or cities having million plus population[1].
2	Category B	Within 10 km radius of Critically Polluted Areas[2] or Non-attainment cities[2]
3	Category C	Other than those included in category A and B

[1] As per 2011 census of India.

[2] as defined by the Central Pollution Control Board.

(b) (i) The timelines for applicability of emission standards for parameters other than Sulphur dioxide emissions shall be as follows:-

TABLE-II

Sl. No.	Category	Timelines for compliance (Non-retiring units)	Last date for retirement of units for exemption from compliance
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Category A	Upto 31st December 2022	Upto 31st December 2022
2	Category B	Upto 31st December 2023	Upto 31st December 2025
3	Category C	Upto 31st December 2024	Upto 31st December 2025

(ii) the thermal power plant declared to retire before the date as specified in column (4) of Table-II shall not be required to meet the specified standards for parameters other than Sulphur dioxide emissions in case such plants submit an undertaking to Central Pollution Control Board and Central Electricity Authority for exemption on ground of retirement of such plant:

Provided that such plants shall be levied environment compensation from the dates as specified in column (4) of Table –II, at the rate of rupees 0.40 per unit electricity generated in case their operation is continued beyond the date as specified in the undertaking in case the Thermal Power Plant or Unit do not meet the specified standards.

(c) The Applicability of emission standards for Sulphur dioxide in thermal power plants shall be as follows:

i. the thermal power plants declared to retire before 31st December, 2030 shall not be required to meet the specified standards for Sulphur dioxide emissions in case such plants submit an undertaking to Central Pollution Control Board and Central Electricity Authority for exemption on ground of retirement of such plant:

Provided that such plants shall be levied environment compensation from the 31st December 2030, at the rate of rupees 0.40 per unit electricity generated in case their operation is continued beyond the date as specified in the undertaking without meeting the specified standards;

ii. the existing Category A thermal power plants shall comply with the Sulphur dioxide emission standards by 31st December, 2027 and the Category A thermal power plants under commissioning shall also comply with the standards before 31st December, 2027. Other category A plants to be commissioned after 31st December, 2027 will operate only after ensuring compliance of these standards;

iii. for all Category B Plants or Units, whether existing or upcoming, the applicability of Sulphur dioxide emission standards, shall be decided on a case to case basis by the Central Government based upon the

recommendations of the Expert Appraisal Committee in charge of Thermal Power Projects constituted under Environment Impact Assessment notification 2006 based on the appropriate scientific studies as per the following procedure:

A. in case environmental clearance has already been granted, such plants or units may opt for review of the applicability of Sulphur dioxide standards provided that concerned project proponent applies for such review on the PARIVESH portal within six months of the date of issue of this notification, in case Sulphur dioxide standards are decided as applicable, the same shall be effective from 31st December, 2028 and in all other cases, the thermal power plant shall comply with the stack height criteria notified *vide* notification number GSR 742 (E) dated the 30th August, 1990 by 31st December, 2028;

B. in cases of upcoming plants where EC has not been granted, the applicability of Sulphur dioxide standards and the date of its coming into force or otherwise will be as specified in environmental clearance granted to each such projects following the procedure as laid down in Environment Impact Assessment notification 2006 as amended from time to time and in cases, where the Sulphur dioxide standards are not made applicable, the thermal power plants shall comply with the stack height criteria notified *vide* notification number GSR 742 (E) dated the 30th August, 1990;

C. these standards for Sulphur dioxide emissions shall be applicable with effect from the 31st December, 2028 in respect of all those plants or units which have not opted for review within the given timeframe as specified in para (i) above;

iv. the Sulphur dioxide emission standards shall not be applicable to all Category C thermal power plants subject to ensuring compliance of stack height criteria notified *vide* notification number GSR 742 (E), dated the 30th August, 1990 and the time line for ensuring compliance by the existing Category C Thermal Power Plants of stack height criteria by the 31st December, 2029.

(c) The Central Government may, on the recommendations of the Central Pollution Control Board, by an order grant extension of timelines to thermal power plants from compliance of Sulphur dioxide emission standards.

(d) There shall be levied environment compensation on the non-retiring and non-compliant thermal power plants, after the date as specified in column (4) of Table-II and the date specified in paragraph (b), (c) & (d), as per the rates specified in Table-III.

TABLE -III

Non-Compliant operation beyond the Timeline	**Environmental Compensation (Rs. per unit electricity generated)**
0-180 days	0.20
181-365 days	0.30
366 days and beyond	0.40”.

[F. No. Q-15017/40/2007-CPW]

NEELESH KUMAR SAH, Jt. Secy.

Note: The Principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number S.O.844(E), dated the 19th November, 1986 and last amended *vide* notification number G.S.R 446(E) dated the 3rd July, 2025.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.